

NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनांक: 18-05-2026

विषय सूची

भारत एवं स्वीडन के द्विपक्षीय संबंध सामरिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत
भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के निर्णय का अस्वीकार
प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा
दक्षिण-पश्चिमी मानसून का समयपूर्व आगमन
सीबीएसई द्वारा कक्षा IX के लिए तृतीय भाषा अनिवार्य
राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वृद्धि को स्वीकृति प्रदान

संक्षिप्त समाचार

लातविया

भोजशाला

पीएम-श्री विद्यालय योजना

भारत में गुड़ क्षेत्र

सरंडा वन

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना

इबोला प्रकोप

सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर (SMILE)

भारत एवं स्वीडन के द्विपक्षीय संबंध सामरिक साझेदारी के स्तर पर उन्नत

संदर्भ

- भारत और स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वीडन यात्रा के दौरान अपने द्विपक्षीय संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किया।

यात्रा की प्रमुख विशेषताएँ

- प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का **रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार और कमांडर ग्रैंड क्रॉस** प्रदान किया गया, जो किसी सरकार प्रमुख को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है।
 - यह प्रधानमंत्री मोदी का 31वाँ वैश्विक सम्मान है।
- **सामरिक साझेदारी ढाँचा:** भारत और स्वीडन ने साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, नवाचार, स्थिरता और अनुसंधान सहयोग पर आधारित सामरिक साझेदारी को संस्थागत रूप देने पर सहमति व्यक्त की। यह साझेदारी चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित होगी:
 - स्थिरता और सुरक्षा हेतु सामरिक संवाद।
 - आगामी पीढ़ी की आर्थिक साझेदारी।
 - उभरती प्रौद्योगिकियाँ और विश्वसनीय कनेक्टिविटी।
 - “शेपिंग टुमॉरो टुगेदर” – लोग, पृथ्वी, स्वास्थ्य और लचीलापन।
- उन्नत साझेदारी को क्रियान्वित करने हेतु दोनों नेताओं ने **भारत-स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030** को अपनाया, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, तकनीकी, सुरक्षा, जलवायु तथा जन-से-जन सहयोग के क्षेत्रों में रोडमैप प्रस्तुत किया गया।
- भारत और स्वीडन ने संयुक्त रूप से **भारत-स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर (SITAC)** के विकास का समर्थन किया।
- दोनों देशों ने नवाचार-आधारित उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु **भारत-स्वीडन SME और स्टार्ट-अप प्लेटफॉर्म** स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की।
- **सांस्कृतिक कूटनीति:** उल्फ क्रिस्टरसन और नरेंद्र मोदी ने नोबेल पुरस्कार विजेता रवीन्द्रनाथ टैगोर की विरासत को सम्मानित करने वाले स्मृति-उपहारों का आदान-प्रदान किया।

भारत-स्वीडन संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **राजनयिक संबंध:** भारत और स्वीडन ने 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित किए।
 - स्वीडन ने 2018 में प्रथम भारत-नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिससे भारत की नॉर्डिक क्षेत्र के साथ सहभागिता सुदृढ़ हुई।
 - **आर्थिक संबंध:**
 - कई स्वीडिश कंपनियाँ भारत में दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, स्वच्छ ऊर्जा और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में कार्यरत हैं।
 - 2025 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 7.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
 - 2000 से 2024 के बीच भारत में स्वीडन का संचयी एफडीआई प्रवाह लगभग 2.59 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जिससे स्वीडन भारत का 22वाँ सबसे बड़ा निवेशक बना।
 - लगभग 280 स्वीडिश कंपनियाँ भारत में कार्यरत हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों की स्वीडन में व्यावसायिक उपस्थिति है।
 - **सततता सहयोग:** भारत और स्वीडन ने 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही शिखर सम्मेलन में **लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांज़िशन (LeadIT)** का शुभारंभ किया।
 - LeadIT कम-कार्बन औद्योगिक संक्रमण और सतत विनिर्माण प्रथाओं को बढ़ावा देता है।
 - **भारतीय प्रवासी:** स्वीडन में भारतीय प्रवासी लगभग 90,000 है, जिसमें लगभग 66,400 भारतीय नागरिक शामिल हैं। इनमें से कई आईटी, फिनटेक और जीवन विज्ञान क्षेत्रों में उच्च कौशल वाले पेशेवर हैं।
- ### भारत के लिए महत्व
- **यूरोप के साथ भारत की सहभागिता को सुदृढ़ करना:** यह साझेदारी उत्तरी यूरोप में भारत की सामरिक पहुँच को बढ़ाती है और यूरोपीय क्षेत्र के साथ संबंधों को सुदृढ़ करती है।

- **प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा:** स्वीडन के साथ सहयोग भारत की हरित औद्योगिकीकरण, डिजिटल अर्थव्यवस्था विस्तार, उन्नत विनिर्माण और सतत शहरी गतिशीलता की महत्वाकांक्षाओं को समर्थन दे सकता है।
- **आपूर्ति श्रृंखला लचीलापन बढ़ाना:** यह साझेदारी भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के विविधीकरण और लचीलेपन में योगदान कर सकती है।
- **बहुपक्षीय सुधारों का समर्थन:** दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया ताकि वे अधिक प्रतिनिधिक एवं प्रभावी बन सकें।

द्विपक्षीय संबंधों में चुनौतियाँ

- **सीमित व्यापार क्षमता का उपयोग:** मजबूत पूरकताओं के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार अपनी पूर्ण क्षमता से कम है।
- **नियामक और बाज़ार बाधाएँ:** मानकों, विनियमों और बाज़ार पहुँच में अंतर व्यापार विस्तार को प्रभावित करते हैं।
- **भू-राजनीतिक और आर्थिक अनिश्चितताएँ:** वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान एवं भू-राजनीतिक तनाव आर्थिक सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं।

आगे की राह

- भारत-स्वीडन संबंधों को सामरिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करना साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, नवाचार एवं सतत विकास पर आधारित द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
- जैसे-जैसे दोनों देश उभरती प्रौद्योगिकियों, हरित संक्रमण, व्यापार, रक्षा और बहुपक्षीय सहभागिता में सहयोग बढ़ाते हैं, यह साझेदारी भारत की नॉर्डिक क्षेत्र एवं यूरोप के साथ सहभागिता का एक प्रमुख स्तंभ बनने की क्षमता रखती है।

स्रोत: TH

भारत द्वारा सिंधु जल संधि पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के निर्णय का अस्वीकार

संदर्भ

- भारत ने स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA) के नवीनतम निर्णय को अस्वीकार कर दिया है। यह पाँच सदस्यीय मध्यस्थ पैनल 2023 में पाकिस्तान के अनुरोध पर भारत के जम्मू एवं कश्मीर स्थित किशनगंगा तथा रतले जलविद्युत परियोजनाओं के डिज़ाइन पर विवाद निपटाने हेतु गठित किया गया था।
- पाहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध दंडात्मक उपायों के हिस्से के रूप में 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया।

सिंधु जल संधि (IWT) क्या है?

- सिंधु जल संधि 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच नौ वर्षों की वार्ता के बाद हस्ताक्षरित हुई थी। इसका मध्यस्थ विश्व बैंक था, जो इस संधि का हस्ताक्षरकर्ता भी है।
- संधि के तहत पाकिस्तान को तीन पश्चिमी नदियों — सिंधु, झेलम और चिनाब — पर अधिकार प्राप्त हैं, जबकि भारत को तीन पूर्वी नदियों — रावी, ब्यास एवं सतलुज — पर नियंत्रण मिला है।
- इस संधि के अनुसार पाकिस्तान को सिंधु नदी प्रणाली के लगभग 80% जल तक पहुँच प्राप्त है, जबकि भारत को लगभग 20% जल के साथ पश्चिमी नदियों पर सिंचाई, विद्युत उत्पादन और अन्य गैर-उपभोगी प्रयोजनों हेतु सीमित उपयोग अधिकार प्राप्त हैं।
- संधि में सहयोग और सूचना आदान-प्रदान हेतु **स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** का प्रावधान है, जो विवाद समाधान की प्रथम स्तर की व्यवस्था है।

IWT के अंतर्गत विवाद निपटान तंत्र

- संधि में तीन-स्तरीय विवाद समाधान संरचना निर्धारित है:
 - **स्तर 1: स्थायी सिंधु आयोग (PIC)** – दोनों पक्षों के आयुक्तों की द्विपक्षीय संस्था। यह नियमित “प्रश्नों” का निपटारा करती है।

- **स्तर 2: तटस्थ विशेषज्ञ** – किसी भी पक्ष के अनुरोध पर विश्व बैंक द्वारा नियुक्त। यह तकनीकी “अंतर” का समाधान करता है।
- **स्तर 3: स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (CoA)** – कानूनी या संधि-व्याख्या संबंधी अनसुलझे “विवादों” के लिए प्रयुक्त।

स्रोत: TH

प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा की।

यात्रा के प्रमुख परिणाम

- **सामरिक साझेदारी में उन्नयन:** भारत और नीदरलैंड ने द्विपक्षीय संबंधों को “सामरिक साझेदारी” के स्तर तक उन्नत किया।
- **सेमीकंडक्टर सहयोग:** टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और एसएमएल (ASML) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर हुए।
 - एसएमएल गुजरात के धोलेरा स्थित टाटा के सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र के लिए उन्नत लिथोग्राफी प्रणालियाँ उपलब्ध कराएगा।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** लीडेन विश्वविद्यालय ने भारत को 11वीं शताब्दी के चोल कालीन ताम्रपत्र लौटाए।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों देशों ने रक्षा सहयोग पर एक आशय पत्र (Letter of Intent) पर हस्ताक्षर किए, जिससे रक्षा औद्योगिक रोडमैप, संयुक्त निर्माण और त्रि-सेवा सैन्य संवाद का मार्ग प्रशस्त होगा।
- **शैक्षणिक सहयोग:** आइंडहोवन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे ने भारत के छह प्रमुख तकनीकी संस्थानों (आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मद्रास) के साथ सेमीकंडक्टर और संबंधित प्रौद्योगिकियों में “ब्रेन ब्रिज” हेतु सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

भारत-नीदरलैंड संबंधों का संक्षिप्त विवरण

- **राजनयिक संबंध:** भारत और नीदरलैंड ने 1947 में राजनयिक संबंध स्थापित किए। 2026 में द्विपक्षीय संबंधों के 79 वर्ष पूरे होंगे।

आर्थिक सहयोग:

- भारत और नीदरलैंड ने 2025 में संयुक्त व्यापार एवं निवेश समिति (JTIC) को औपचारिक रूप दिया।
- नीदरलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक है, जिसने 2000-2025 के बीच 54.94 अरब अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह किया।
- 2025-26 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 16.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँचा।
- भारत का नीदरलैंड को निर्यात 2024-25 में 22.76 अरब अमेरिकी डॉलर और 2025-26 में लगभग 12.82 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
- **प्रौद्योगिकी सहयोग:** भारत और नीदरलैंड सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, ग्रीन हाइड्रोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग करते हैं।
- **सांस्कृतिक सहयोग:** 2025 में भारत और नीदरलैंड ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास हेतु सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- **प्रवासी भारतीय:** नीदरलैंड यूरोप महाद्वीप में भारतीय मूल के लोगों की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है, जिसमें लगभग 200,000 सुरिनामी-हिंदुस्तानी समुदाय के सदस्य शामिल हैं।

संबंधों में चिंताएँ

- नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन ने कहा कि नीदरलैंड और कई यूरोपीय संघ देशों को भारत में निम्नलिखित विकासों को लेकर चिंता है:
 - प्रेस की स्वतंत्रता।
 - अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम और छोटे समुदायों के अधिकार।
 - लोकतांत्रिक मूल्य एवं विधि का शासन।
- **इंसिया हेमानी मामला:** अभिरक्षा विवाद के समाधान में लंबे विलंब ने भारत और नीदरलैंड के बीच एक संवेदनशील राजनयिक मुद्दा उत्पन्न किया है।
- इस मामले ने नीदरलैंड में अंतरराष्ट्रीय बाल अभिरक्षा प्रवर्तन और भारत के साथ कानूनी सहयोग को लेकर चिंताएँ बढ़ाई हैं।

आगे की राह

- भारत और नीदरलैंड को नवस्थापित सामरिक साझेदारी पर आधारित होकर व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा एवं नवाचार में सहयोग को गहरा करना चाहिए।
- निरंतर उच्च-स्तरीय राजनीतिक सहभागिता और संस्थागत संवाद द्विपक्षीय एवं वैश्विक मुद्दों पर अधिक पारस्परिक समझ को सुगम बना सकते हैं।
- शैक्षणिक आदान-प्रदान, सांस्कृतिक सहयोग और जन-से-जन संबंधों का विस्तार दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक सामरिक अभिसरण में योगदान कर सकता है।

स्रोत: TOI


दक्षिण-पश्चिमी मानसून का समयपूर्व आगमन

संदर्भ

- हाल ही में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घोषणा की कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून सामान्य आगमन तिथि 1 जून से पहले ही केरल पहुँचने की संभावना है।


भारत में मानसून

- 'मानसून' शब्द का तात्पर्य भूमि और समुद्र के भिन्न-भिन्न ताप और शीतन से उत्पन्न मौसमी पवन परिवर्तन से है।
- भारत में मानसूनी वर्षा अर्थव्यवस्था और जलवायु प्रणाली की रीढ़ है।
- भारत दो प्रमुख मानसून प्रणालियों का अनुभव करता है:
 - **दक्षिण-पश्चिमी मानसून (जून-सितंबर):** मुख्य वर्षा ऋतु, जो वार्षिक वर्षा का लगभग 75% प्रदान करती है।
 - **उत्तर-पूर्वी मानसून (अक्टूबर-दिसंबर):** मुख्यतः तमिलनाडु और दक्षिण-पूर्वी भारत के लिए महत्वपूर्ण।
- दक्षिण-पश्चिमी मानसून कृषि, जलाशयों, जलविद्युत उत्पादन और ग्रामीण आजीविका के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।



दक्षिण-पश्चिमी मानसून का गठन

- **भिन्न-भिन्न तापन:** भारतीय भूभाग महासागरों की तुलना में तीव्रता से गर्म होता है, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत में ग्रीष्मकाल के दौरान निम्न दाब क्षेत्र बनता है।
- **आईटीसीजेड (ITCZ) का स्थानांतरण:** अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर खिसकता है, जिससे हिंद महासागर से आर्द्रता युक्त पवनें आकर्षित होती हैं।
- **भूमध्यरेखीय पवनें:** दक्षिण-पूर्व व्यापारिक पवनें भूमध्यरेखा पार करती हैं और कोरिओलिस बल के कारण दक्षिण-पश्चिमी पवनों में परिवर्तित हो जाती हैं।
- **जेट स्ट्रीम और तिब्बती पठार की भूमिका:** तिब्बती पठार का तापन और उपोष्णकटिबंधीय जेट स्ट्रीम में परिवर्तन मानसून परिसंचरण को सुदृढ़ करते हैं।



दक्षिण-पश्चिमी मानसून की शाखाएँ

- **अरब सागर शाखा:** यह सबसे पहले पश्चिमी घाट से टकराती है और पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करती है। इसके बाद यह मध्य और उत्तरी भारत की ओर बढ़ती है।
- **बंगाल की खाड़ी शाखा:** यह उत्तर-पूर्वी भारत और इंडो-गंगा के मैदानी क्षेत्रों की ओर बढ़ती है। हिमालय द्वारा पश्चिम की ओर मोड़ दी जाती है तथा उत्तरी भारत में फैलती है।

एल नीनो और भारतीय मानसून पर उसका प्रभाव

- **एल नीनो:** भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र सतह तापमान के असामान्य ऊष्मीकरण को एल नीनो कहते हैं।
 - यह मानसून परिसंचरण को कमजोर करता है और प्रायः भारत में सामान्य से कम वर्षा का कारण बनता है।
- NOAA के अनुसार मई-जुलाई के दौरान एल नीनो विकसित होने की 82% संभावना है।
 - IMD ने मौसमी वर्षा को दीर्घकालिक औसत (LPA) के 92% पर अनुमानित किया है, जो सामान्य से कम वर्षा का संकेत है।
- एक प्रबल या 'सुपर' एल नीनो कृषि उत्पादकता को कम कर सकता है, सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकता है, भूजल और जलाशयों को प्रभावित कर सकता है तथा खाद्य मुद्रास्फीति एवं ग्रामीण संकट को बढ़ा सकता है।
 - इंडो-गंगा मैदानी क्षेत्र दीर्घकालिक शुष्क प्रवृत्तियों के कारण विशेष रूप से संवेदनशील है।

भारतीय मानसून का महत्व

- **कृषि महत्व:** लगभग 60% भारतीय किसान बुवाई और सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर हैं।
- **आर्थिक महत्व:** मानसून GDP वृद्धि, खाद्य उत्पादन, ग्रामीण मांग और मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है।
- **जल सुरक्षा:** यह नदियों, भूजल और जलाशयों को पुनर्भरण करता है।
- **पारिस्थितिक महत्व:** वन, जैव विविधता और जलवैज्ञानिक संतुलन को समर्थन देता है।

स्रोत: DTE

सीबीएसई द्वारा कक्षा IX के लिए तृतीय भाषा अनिवार्य

समाचार में

- केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने जुलाई 2026 से कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए तीन भाषाएँ पढ़ना अनिवार्य कर दिया है।

तीन-भाषा सूत्र क्या है?

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 में तीन-भाषा सूत्र का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत विद्यार्थियों को तीन भाषाएँ सीखनी होंगी, जिनमें से कम-से-कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ होनी चाहिए।
- यह सूत्र सरकारी और निजी दोनों विद्यालयों पर लागू होता है तथा राज्यों को भाषाओं के चयन में लचीलापन प्रदान करता है, किसी प्रकार के अनिवार्य बाध्यता के बिना।

पृष्ठभूमि

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने तीन-भाषा सूत्र को बनाए रखा है, जिसे मूल रूप से NEP 1968 में प्रस्तुत किया गया था, परंतु इसमें पहले की तुलना में अधिक लचीलापन दिया गया है।
- 1968 की नीति ने पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य बना दिया था, जबकि NEP 2020 किसी विशेष भाषा को राज्यों या विद्यार्थियों पर नहीं थोपती।
 - तीन-भाषा सूत्र का प्रस्ताव सबसे पहले शिक्षा आयोग (1964-66), जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है, ने रखा था।
- 1968 के ढाँचे के अनुसार:
 - हिंदी-भाषी राज्यों को हिंदी, अंग्रेजी और एक अन्य भारतीय भाषा सीखनी थी।
 - गैर-हिंदी-भाषी राज्यों को अपनी क्षेत्रीय भाषा, अंग्रेजी और हिंदी शामिल करनी थी।
- इसके विपरीत, NEP 2020 राज्यों और विद्यार्थियों को तीन भाषाओं के चयन की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते कम-से-कम दो भाषाएँ भारतीय हों।

- इसका अर्थ है कि विद्यार्थी सामान्यतः अपनी क्षेत्रीय भाषा और कम-से-कम एक अन्य भारतीय भाषा पढ़ेंगे, परंतु हिंदी अनिवार्य नहीं होगी।

तीन-भाषा नीति के उद्देश्य

- **बहुभाषिकता को बढ़ावा:** यह नीति विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाती है।
- **भारतीय भाषाओं का संरक्षण:** यह सुनिश्चित करती है कि तीन में से कम-से-कम दो भाषाएँ भारत की मूल भाषाएँ हों।
- **राष्ट्रीय एकीकरण:** यह नीति क्षेत्रीय और राष्ट्रीय भाषाओं के बीच संतुलन बनाकर भाषाई विभाजन को कम करती है।
- **वैश्विक तैयारी:** अंग्रेजी को बनाए रखते हुए यह नीति अंतर्राष्ट्रीय जोखिम हेतु विदेशी भाषाओं को वैकल्पिक रूप से अनुमति देती है।

विरोध और चुनौतियाँ

- **दक्षिणी राज्यों की चिंताएँ:** तमिलनाडु में लंबे समय से चले आ रहे हिंदी-विरोधी आंदोलनों और उसकी दो-भाषा नीति (तमिल और अंग्रेजी) के कारण विरोध है।
 - राजनीतिक दलों का तर्क है कि यह नीति अप्रत्यक्ष रूप से हिंदी को बढ़ावा दे सकती है, जिससे भाषा और पहचान को लेकर केंद्र-राज्य संघर्ष उत्पन्न हो सकता है।
 - अन्य आलोचकों का कहना है कि यह नीति सहकारी संघवाद को कमजोर करती है।
- **व्यावहारिक बाधाएँ:**
 - क्षेत्रीय भाषाओं के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी।
 - कई विद्यालयों में पर्याप्त भारतीय भाषा शिक्षक नहीं हैं, इसलिए CBSE ने अस्थायी समाधान जैसे कुशल शिक्षकों का उपयोग, ऑनलाइन कक्षाएँ, अंतर-विद्यालय साझाकरण, और सेवानिवृत्त या योग्य स्नातकोत्तर शिक्षकों को अनुमति दी है।
 - पाठ्यपुस्तकों और संरचित पाठ्यक्रम की कमी।
 - विद्यार्थियों पर अतिरिक्त भार, विशेषकर उन पर जो बार-बार स्थानांतरित होते हैं या पहले से विदेशी भाषाएँ सीख रहे हैं।

CBSE के नवीनतम निर्देश

- तीसरी भाषा का मूल्यांकन आंतरिक रूप से किया जाएगा, कक्षा 10 बोर्ड परीक्षा में इसका समावेश नहीं होगा और विद्यार्थियों को इसके कारण परीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।
- विदेशी भाषाएँ अब भी पढ़ी जा सकती हैं, परंतु वे भारतीय भाषा की आवश्यकता को प्रतिस्थापित नहीं कर सकतीं। कुछ विद्यार्थियों को अपनी भाषा संयोजन में समायोजन करना पड़ सकता है।
- CBSE का कहना है कि यह कदम राष्ट्रीय सुधारों के अनुरूप है, अद्यतन NCERT पाठ्यक्रम के साथ संगति सुनिश्चित करता है और विद्यालयों के लिए क्रमिक संक्रमण प्रदान करता है।

स्रोत :Air

राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या वृद्धि को स्वीकृति प्रदान

संदर्भ

- राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) करने की स्वीकृति दी है। यह निर्णय **सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026** के प्रख्यापन के माध्यम से लागू किया गया है।
 - इस प्रस्ताव को संसद के आगामी सत्र में **सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956** में संशोधन के माध्यम से लागू किया जाएगा।

संवैधानिक प्रावधान

- संविधान का अनुच्छेद 124(1) संसद को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने और बढ़ाने का अधिकार देता है।

- संविधान में प्रारंभिक रूप से भारत के मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम सात न्यायाधीशों का प्रावधान था, जिससे भविष्य में विस्तार की लचीलापन सुनिश्चित हो सके।
- यह संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक-आर्थिक और विधिक मांगों के अनुरूप न्यायिक क्षमता को अनुकूलित करने की आवश्यकता को दर्शाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की संख्या का विकास

- सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 ने प्रारंभिक रूप से न्यायाधीशों की संख्या 10 (भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) निर्धारित की थी।
- 1960 संशोधन द्वारा संख्या 13 और 1977 संशोधन द्वारा 17 कर दी गई।
- बाद के संशोधनों द्वारा संख्या क्रमशः बढ़ाई गई और 2019 संशोधन द्वारा इसे 33 (मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर) किया गया।

संख्या में वृद्धि का औचित्य

- **मामलों की लंबित संख्या में वृद्धि:** वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 92,000 से अधिक मामले लंबित हैं, जो गंभीर बैकलॉग को दर्शाता है।
 - महामारी के बाद ई-फाइलिंग और डिजिटल तंत्रों के परिचय से मामलों का प्रवाह बढ़ा है।
- **न्यायिक रिक्तियाँ और सेवानिवृत्तियाँ:** वर्तमान रिक्तियों ने न्यायाधीशों की प्रभावी कार्यशील संख्या को कम कर दिया है।
 - 2026 में कई न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे न्यायिक क्षमता पर और दबाव पड़ेगा।
- **अधिकार क्षेत्र और कार्यभार का विस्तार:** सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक मामलों, अपीलीय अधिकार क्षेत्र और जनहित याचिकाओं से संबंधित है। शासन एवं विधिक विवादों की बढ़ती जटिलता ने न्यायालय के कार्यभार को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा दिया है।
- **सुधार अभियान:** न्यायिक संख्या बढ़ाने की आवश्यकता पर विधि आयोग (120वीं और 245वीं रिपोर्ट) ने बल दिया है और इसे ऑल इंडिया जजेज़ एसोसिएशन बनाम

भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी सुदृढ़ किया, जिसमें उच्चतर न्यायाधीश-जनसंख्या अनुपात की अनुशांसा की गई।

चिंताएँ

- **न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं:** केवल संख्या बढ़ाने से लंबित मामलों की समस्या का समाधान नहीं होगा।
- **संरचनात्मक बाधाएँ:** सीमित न्यायालयीन अवसंरचना और प्रशासनिक क्षमता दक्षता को प्रभावित करती है।
- **मामला प्रबंधन संबंधी समस्याएँ:** बार-बार स्थगन जैसी प्रक्रियात्मक देरी बैकलॉग में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
- **मामलों का केंद्रीकरण:** बड़ी संख्या में अपीलें सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचती हैं, जिससे उसका ध्यान मूल संवैधानिक कार्यों से भटकता है।

आगे की राह

- प्रौद्योगिकी के उपयोग से मामला प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करना मामलों के निपटान की दक्षता बढ़ा सकता है।
- मध्यस्थता और पंचाट जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को बढ़ावा देना न्यायालयों पर भार कम कर सकता है।
- मामलों के प्रवाह का युक्तिकरण, विशेषकर विशेष अनुमति याचिकाओं (SLPs) का, सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता कर सकता है।
- निचली न्यायपालिका और उच्च न्यायालयों की क्षमता बढ़ाना सभी स्तरों पर लंबित मामलों के समाधान हेतु आवश्यक है।

स्रोत: AIR

संक्षिप्त समाचार

लातविया

संदर्भ

- लातविया की प्रधानमंत्री एविका सिलिना ने अपने गठबंधन द्वारा सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद त्यागपत्र देने की घोषणा की।

लातविया के बारे में

- लातविया उत्तरी यूरोप का एक छोटा देश है और यह तीन बाल्टिक राज्यों (एस्टोनिया और लिथुआनिया सहित) में से एक है।
- इसकी सीमाएँ एस्टोनिया, रूस, बेलारूस और लिथुआनिया से लगती हैं।
- दक्षिण में लिथुआनिया से भाषाई संबंध और उत्तर में एस्टोनिया से ऐतिहासिक एवं धार्मिक संबंध हैं।
- इसकी राजधानी रीगा सबसे बड़ा शहर है, जो अपनी सुंदर आर्ट नोवो वास्तुकला और ऐतिहासिक पुरानी बस्ती (यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल) के लिए प्रसिद्ध है।
- लातविया को 2004 में नाटो (NATO) और यूरोपीय संघ (EU) में शामिल किया गया।



स्रोत: TH

भोजशाला

समाचार में

- मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने धार जिले स्थित भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर घोषित किया।

भोजशाला परिसर

- परमार वंश के महानतम शासक राजा भोज ने 1000–1055 ईस्वी के बीच धार में प्रसिद्ध भोजशाला की स्थापना की थी। यह देवी सरस्वती को समर्पित एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था।
- बाद में मुस्लिम शासन के दौरान इस संरचना को कमाल मौला मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया।
- यह संस्कृत शिक्षा का प्रमुख महाविद्यालय और केंद्र रहा। मस्जिद में आज भी मूल भोजशाला के उत्कीर्ण स्तंभ, छतें और शिलालेख उपस्थित हैं।

- महत्वपूर्ण शिलालेखों में संस्कृत व्याकरण सारणी, विष्णु स्तुति, परमार राजाओं की प्रशंसा और संस्कृत नाटक कर्पूरमंजरी (मदन द्वारा अर्जुनवर्मा देव के शासनकाल में रचित) शामिल हैं।

स्रोत: AIR

पीएम-श्री विद्यालय योजना

संदर्भ

- पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में पीएम-श्री विद्यालय योजना लागू करने हेतु केंद्र के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए।

प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया (PM-SHRI) योजना

- **उद्देश्य:** वर्तमान सरकारी विद्यालयों को आदर्श विद्यालयों में परिवर्तित करना।
 - यह योजना देशभर में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा संचालित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों पर लागू होगी।
- **वित्तपोषण:** यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसकी कुल परियोजना लागत 27,360 करोड़ रुपये है। यह 2022-23 से 2026-27 तक पाँच वर्षों में लगभग 14,500 विद्यालयों को रूपांतरित करेगी।
- यह विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करेंगे, आदर्श विद्यालय के रूप में कार्य करेंगे और अपने आसपास के अन्य विद्यालयों को मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
- इन विद्यालयों की प्रगति और प्रदर्शन मापने हेतु एक विद्यालय गुणवत्ता मूल्यांकन ढाँचा विकसित किया जा रहा है।

पीएम-श्री योजना की प्रमुख विशेषताएँ

- **हरित विद्यालयों का विकास:** सौर पैनल, LED लाइटें, पोषण उद्यान, अपशिष्ट प्रबंधन, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित।
- **आधुनिक सुविधाएँ:** ICT (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी) सुविधाएँ, स्मार्ट कक्षाएँ, पुस्तकालय,

डिजिटल पुस्तकालय, विज्ञान प्रयोगशालाएँ और व्यावसायिक प्रयोगशालाएँ।

- विद्यालयों को विज्ञान और गणित किट तथा पुस्तकालय या खेलों के लिए वार्षिक अनुदान भी मिलेगा।
- मातृभाषा और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा।

स्रोत: IE

भारत में गुड़ क्षेत्र

समाचार में

- भारत में गुड़ उत्पादन एक प्रमुख कृषि-प्रसंस्करण क्षेत्र है, जो ग्रामीण आजीविका, किसानों की आय और कुटीर उद्योगों के माध्यम से मूल्य संवर्धन का समर्थन करता है।

गुड़

- इसे सामान्यतः गुड़ कहा जाता है और यह पारंपरिक, अपरिष्कृत, प्राकृतिक मिठास है।
- यह गन्ने के रस को रसायनों के प्रयोग के बिना सघन करके तैयार किया जाता है।
- एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में विभिन्न स्थानीय नामों से इसका व्यापक उपभोग होता है।



भारत की गुड़ परंपरा की प्राचीन आधार

- गुड़ को भारत का स्वदेशी उत्पाद माना जाता है, जिसकी उत्पत्ति वैदिक काल (1400-1000 ईसा पूर्व) में गन्ने की प्रारंभिक खेती से जुड़ी है।
- माना जाता है कि गन्ने का विकास सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत में हुआ और बाद में यह विश्वभर में फैला।
- ऐतिहासिक अभिलेख बताते हैं कि 647 ईस्वी में एक चीनी प्रतिनिधिमंडल मगध आया था, जिसने गन्ना प्रसंस्करण का अध्ययन किया। यह भारतीय ज्ञान के प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण को दर्शाता है।

भारत में गुड़ उत्पादन

- भारत विश्व का 70% से अधिक गुड़ उत्पादन करता है, जिससे यह सबसे बड़ा वैश्विक उत्पादक है।
- उत्तर प्रदेश कुल उत्पादन में 48.5% योगदान देता है, इसके बाद महाराष्ट्र (24.1%) और कर्नाटक (10.5%) का स्थान है।

निर्यात गंतव्य

- भारत गुड़ और मिठाई उत्पादों (पारंपरिक भारतीय मिठाइयाँ और कैंडी सहित) का प्रमुख निर्यातक है।
 - 2024-25 में प्रमुख निर्यात गंतव्यों में इंडोनेशिया, अमेरिका, यूएई, नाइजीरिया और नेपाल शामिल थे।



स्रोत: PIB

सरंडा वन

समाचार में

- झारखंड सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर की है, जिसमें उसके पूर्व आदेश को चुनौती दी गई है। उस आदेश में राज्य को तीन माह के भीतर सरंडा हाथी वन को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया गया था।
- झारखंड का तर्क है कि अभयारण्य घोषित करने से जनजातीय आवास, सड़कें और अवसंरचना प्रभावित हो सकती हैं, जिसके लिए आगे अध्ययन आवश्यक है।

सरंडा वन

- यह झारखंड में जमशेदपुर से लगभग 122 किमी दूर स्थित है।
- यह एशिया का सबसे बड़ा साल वन है और “सात सौ पहाड़ियों की भूमि” के रूप में जाना जाता है।
- यह छोटानागपुर जैव-भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ के वनों से जुड़ता है, जिससे सतत वन्यजीव आवास निर्मित होता है।
- यह वन विविध वनस्पतियों और जीवों का आवास है, जिनमें संकटग्रस्त उड़ने वाली छिपकलियाँ और बड़ी हाथी जनसंख्या शामिल हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रवासी हाथी गलियारा भी है।
- प्रमुख वृक्ष प्रजातियों में साल, महुआ और कुसुम शामिल हैं।

महत्व

- सरंडा वन जनजातीय समुदायों जैसे हो, मुंडा, उराँव और संथाल की आजीविका का समर्थन करता है। ये समुदाय शहद, मशरूम, महुआ, साल पत्तियाँ, औषधीय पौधे, ईंधन लकड़ी, लाख, फल एवं बाँस उत्पादों पर निर्भर हैं।
- यह स्थानीय जनजातियों के लिए गहरी सांस्कृतिक महत्ता रखता है, जिनकी परंपराएँ, अनुष्ठान और पवित्र उपवन (“सरना”) वन पारिस्थितिकी तंत्र से गहराई से जुड़े हैं।

स्रोत: IE

गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना

संदर्भ

- सरकार द्वारा सोना, चाँदी और प्लेटिनम पर आयात शुल्क बढ़ाए जाने से यह परिचर्चा पुनः शुरू हुई है कि क्या बंद की गई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव कम करने में सहायक हो सकती थी।

सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) योजना

- SGBs को 2015 के अंत में शुरू किया गया था। ये भारत सरकार की ओर से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली ग्रामों में मूल्यांकित सरकारी प्रतिभूतियाँ हैं।
 - यह योजना व्यक्तियों को भौतिक सोना खरीदे बिना सोने में निवेश करने की अनुमति देती है।
 - सफल सदस्यता के बाद निवेशकों को एक होल्डिंग प्रमाणपत्र जारी किया जाता है और बॉन्ड को डिमैट रूप में भी रखा जा सकता है।
- SGBs एक ग्राम सोने के गुणकों में मूल्यांकित होते हैं, न्यूनतम निवेश एक ग्राम है।
- मूल्यवर्ग:** निवेशकों को 2.5% वार्षिक निश्चित ब्याज दर मिलती है, जो अर्धवार्षिक रूप से भुगतान की जाती है।
- रिटर्न:** निवेशकों को रिडेम्पशन के समय सोने के प्रचलित बाजार मूल्य से जुड़े रिटर्न भी प्राप्त होते हैं।
- परिपक्वता अवधि:** बॉन्ड की परिपक्वता अवधि आठ वर्ष है, जिसमें पाँचवें वर्ष के बाद ब्याज भुगतान तिथियों पर समयपूर्व मोचन की अनुमति है।
- कर लाभ:** परिपक्वता पर रिडेम्पशन से उत्पन्न पूँजीगत लाभ व्यक्तिगत निवेशकों के लिए दीर्घकालिक पूँजीगत लाभ कर से मुक्त हैं।

स्रोत: IE

इबोला प्रकोप

संदर्भ

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है क्योंकि कांगो लोकांतिक

गणराज्य में इबोला प्रकोप से 80 से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है।

परिचय

- **इबोला वायरस रोग (EVD)** एक जूनोटिक रोग है, जो इबोला वायरस से होता है और मनुष्यों में गंभीर तथा प्रायः घातक हो सकता है।
- इबोला की पहचान प्रथम बार 1976 में मध्य अफ्रीका में हुई थी।
- वायरस प्रारंभ में संक्रमित वन्य जीवों जैसे फलाहारी चमगादड़ और गैर-मानव प्राइमेट्स से मनुष्यों में फैलता है।
- मानव-से-मानव संक्रमण रक्त, शारीरिक द्रवों, स्रावों या दूषित सतहों के सीधे संपर्क से होता है।
- WHO के अनुसार तीन अलग-अलग वायरस बड़े इबोला प्रकोप का कारण बन सकते हैं: **इबोला वायरस, सूडान वायरस और बुंडीबुग्यो वायरस**।
 - वर्तमान प्रकोप **बुंडीबुग्यो प्रकार** से संबंधित है।
- रोग के लक्षणों में बुखार, रक्तस्राव और उल्टी शामिल हैं।
- इबोला वायरस रोग (EVD) के लिए लाइसेंस प्राप्त टीके और उपचार उपलब्ध हैं। हालांकि, सूडान वायरस रोग (SVD) एवं बुंडीबुग्यो वायरस रोग (BVD) के लिए वर्तमान में कोई अनुमोदित टीके या उपचार उपलब्ध नहीं हैं।

स्रोत: TH

सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर (SMILE)

संदर्भ

- यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चीनी विज्ञान अकादमी का संयुक्त मिशन **SMILE** विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य यह अध्ययन करना है कि पृथ्वी की चुंबकीय ढाल सौर तूफानों और अंतरिक्ष मौसम घटनाओं पर कैसे प्रतिक्रिया देती है।

SMILE मिशन के बारे में

- **SMILE** का अर्थ है सोलर विंड मैग्नेटोस्फीयर आयनोस्फीयर लिंक एक्सप्लोरर।
- यह मिशन सूर्य से उत्सर्जित सौर पवन और पृथ्वी के **मैग्नेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर और चुंबकीय वातावरण** के बीच अंतःक्रिया का अध्ययन करेगा।
- **उद्देश्य:**
 - सौर पवन/मैग्नेटोस्फीयर अंतःक्रिया के मूलभूत स्वरूपों का अध्ययन।
 - उपतूफान चक्रों को समझना।
 - कोरोनल मास इजेक्शन (CME) से प्रेरित तूफानों की निगरानी करना ताकि अंतरिक्ष मौसम पूर्वानुमान में सुधार हो सके।
- यह पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण की छवि बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया पहला मिशन है, विशेष रूप से **मैग्नेटोपॉज़ और ध्रुवीय कस्ट्स** को सॉफ्ट एक्स-रे में।
- यह औरोरा बोरियालिस की पराबैंगनी छवियाँ भी कैप्चर करेगा।
- **उपकरण:**
 - सॉफ्ट एक्स-रे इमेजर (SXI)
 - अल्ट्रावायलेट इमेजर (UVI)
 - लाइट आयन एनालाइज़र (LIA)
 - मैग्नेटोमीटर (MAG)

स्रोत: PHYS.ORG

